नम्बर
व ता0 अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—112/19

1:— चन्द्रशेखर आयु 36 वर्ष पुत्र बाबूलाल
2:— आशीष आयु 24 वर्ष पुत्र बाबूलाल
3:— गीता बाई आयु 60 वर्ष पत्नी बाबूलाल जातिगण मीना निवासीगण सोरसन तह0 अन्ता जिला बारा (राज0)

(वादीगण)

बनाम

1 — बाबूलाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति मीना निवासी सोरसन तह0 अन्ता
2 — हेमलता आयु 38 पत्नि हरिश मीना पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम चोमा तह0 दीगोद जिला कोटा (राज0)
3 — कविता आयु 33 वर्ष पत्नी भरत कुमार पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0
4 — योगेन्द्रबाला आयु 30 पत्नि ललितराज मीना पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी कुन्हाडी उद्यान ऐलन के पास कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
5 — राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां राज0

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :— श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादी)
श्री कुलदीप महावर (प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 26/06/19

हस्तगतगत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हे कि वादपत्र में दर्ज
वादीगण व प्रतिवादीगण ने संयुक्त खाते मे ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां में खाता
संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं0 694 रकबा 0.09 है0
खसरा नं0 695 रकबा 1.67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि
स्थित है जो पुश्तैनी आराजी है प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मदनलाल जी प्राप्त हुई है। जिसे
वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 के
पिता मदनलाल उक्त आराजी के खातेदार थे जो उनकी मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है।
पक्षकार का सजरा निम्न प्रकार है :—

मदनलाल

- गीताबाई पत्नि
- चन्द्रशेखर पुत्र, आशीष पुत्र
- हेमलता पुत्री, कविता पुत्री, योगेन्द्रबाला पुत्री

उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का हक व अधिकार जन्म से ही नियत है उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा नियत है। जिसके जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी वादीगण है तथा ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0 खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि स्थित है। भूमि को प्रतिवादी 1 के खाते से वादीगण के नाम संयुक्त रूप खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उक्त सजरा के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के खाते की भूमि ग्राम सोरसन में वादीगण का प्रत्येक हिस्सा 1/4 – 1/4 नियत है। जिस पर वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी 1/4 – 1/4 भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड व भूमि के अन्य विकास कार्य करने में परेशानी हो रही है इसलिए वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिए वादीगण को उक्त भूमि ग्राम 1/4 – 1/4 हिस्से की भूमि के बतौर खातेदार कृषक घोषित किया जावे प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपने हिस्से को अपनी माता गीताबाई के नाम 1/4 हिस्से तक भोश हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हकर्तनामा करती है। उक्त विवादित भूमि सोरसन तह0 अन्ता में स्थित मद नं0 1 मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वाद का कारण दिनांक 10.05.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरन वादी के कब्जे काश्त की भूमि को रहन, बेचान करने की धमकी वादीगण को देने लगा तथा वादीगण के मना करने पर भी नही मानने के कारण वाद बमुकानम ग्राम सोरसन तह0 अन्ता में उत्पन्न हुआ। वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने कारण धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस राज0 सरकार को जर्ये जिला कलेक्टर बारां को अलग से नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पेंश करने की परमिशन दी जावे। माननीय न्यायालय को वाद को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त इस कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार एवं निर्णय डिक्री पारित फरमाया जावें।

ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0 में खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0 खसरा नं. 695 रकबा 1. 67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि स्थित है जिसमें वादीगण को 1/4 – 1/4 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपना हिस्सा 1/4 तक वादीया क्रम 3 के तथा शेष हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हकर्तनाम करती है। प्रतिवादी क्रम 1 उक्त वर्णित भूमि को रहन बेचान या खुर्द बुर्द नही करे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। वादीगण को बेदखल नही करे ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे ओर ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण को जारी की जावे। अन्य न्यायाचित सहायता प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने के पर रिर्पोट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1,2,3,4, व 5 स्वीकार है, मद नं. 6,7 अस्वीकार है, मद नं. 8,9,10 कानूनी है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर किया गया। वादीगण की और से श्री भगवान प्रसाद दाधिच अधि0 द्वारा वकालत नामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण की और से श्री कुलदीप महावर अधि0 द्वारा वकालत नामा पेश किया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से जर्ये अधिवक्ता राजीनामा पैश किया। राजीनामा अनुसार ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0 में खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0 खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि स्थित है जो पुश्तैनी आराजी है प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मदनलाल जी प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मदनलाल उक्त आराजी के खातेदार थे जो उनकी मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है।

पक्षकार का सजरा निम्न प्रकार है :-

मदनलाल

गीताबाई	चन्द्रशेखर पुत्र	हेमलता पुत्री
पत्नि	आशीष पुत्र	कविता पुत्री
		योगेन्द्रबाला पुत्री

उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का हक व अधिकार जन्म से ही नियत है उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 - 1/4 हिस्सा नियत है। जिसके जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी वादीगण है तथा ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0 खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि स्थित है। भूमि को प्रतिवादी 1 के खाते से वादीगण के नाम संयुक्त रूप खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उक्त सजरा के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के खाते की भूमि ग्राम सोरसन में वादीगण का प्रत्येक हिस्सा 1/4 - 1/4 नियत है। जिस पर वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी 1/4 - 1/4 भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड व भूमि के अन्य विकास कार्य करने में परेशानी हो रही है इसलिए वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिए वादीगण को उक्त भूमि ग्राम 1/4 - 1/4 हिस्से की भूमि के बतौर खातेदार कृषक घोषित किया जावे प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपने हिस्से को अपनी माता गीताबाई के नाम 1/4 हिस्से तक भोश हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हकर्तनामा करती है। उक्त विवादित भूमि सोरसन तह0 अन्ता में स्थित मद नं0 1 मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त उनवान के प्रकरण में वादीगण का वाद दावा डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है प्रतिवादीगण वादीगण के नाम भूमि राजस्व

रिकार्ड में दर्ज करवानें के लिए सहमत है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 ने उक्त विवादित आराजी में से अपने हिस्से की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज होगा। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपना हिस्सा 1/4 तक वादीया क्रम 3 को तथा शेष हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हकतर्कनामा करती है। जिसके लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत है। अतः राजीनामा पेंश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाये जाने में प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है, दावा डिक्री व निर्णय पारित फरमाया जावे।

ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0 में खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0 खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0 खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0 खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि में से वादीगण को 1/4 – 1/4 हिस्से की भूमि का बतौर खातेदार कृषक घोषित किया जावे, प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 अपना हिस्सा 1/7 तक वादीया क्रम 3 को तथा शेष हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हकतर्कनामा कर दिया है।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान प्रसाद दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री कुलदीप महावर अधिवक्ता द्वारा की गई। हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0 में खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0, खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0, खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 द्वारा अपना–अपना हिस्सा 1/7–1/7–1/7 वादी क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बराबर–बराबर हकर्तक करने से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 26/06/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–112/19

1:– चन्द्रशेखर आयु 36 वर्ष पुत्र बाबूलाल
2:– आशीष आयु 24 वर्ष पुत्र बाबूलाल
3:– गीता बाई आयु 60 वर्ष पत्नी बाबूलाल जातिगण मीना निवासीगण सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां (राज0)

(वादीगण)

बनाम

1 – बाबूलाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति मीना निवासी सोरसन तह0 अन्ता
2 – हेमलता आयु 38 पत्नि हरिश मीना पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम चोमा तह0 दीगोद जिला कोटा (राज0)
3 – कविता आयु 33 वर्ष पत्नी भरत कुमार पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0
4 – योगेन्द्रबाला आयु 30 पत्नि ललितराज मीना पुत्री बाबूलाल जाति मीना निवासी कुन्हाडी उद्यान ऐलन के पास कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
5 – राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां राज0 (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26/06/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री भगवान प्रसाद दाधीच** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री कुलदीप महावर** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0 में खाता संख्या नया 243 पुराना 236 खसरा नं0 693 रकबा 1.74 है0, खसरा नं. 694 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 695 रकबा 1.67 है0, खसरा नं. 696 रकबा 3.65 है0 किता 4 रकबा 7.15 है0 भूमि में प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 द्वारा अपना–अपना हिस्सा 1/7–1/7–1/7 वादी क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी क्रम 1 के नाम बराबर–बराबर हकर्तक करने से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज	व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

किया गया है।